

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

दालत उपरवस अधीकारी मुकाम चिड़ावा

लीलू सिंह बनाम हाकिम सिंह वगैरे

मुकदमा नं. _____ सन _____

रीख क्रम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए ।
3-21	<p>परावसी पेश हुई शेष परिवारीगणों की गलती हेतु रफिस्ट्रि सम्मत गलवाना अल ही पेश करे। अतः 0-9-15 CPC के तहत कार्यवाही की जाकेगी। पिछले वाले पेश करके रफिस्ट्रि गलती हेतु दिनांक 6-4-21 को पेश की</p> <p style="text-align: right;">↓ उपरवस अधिकारी, चिड़ावा</p>	
21	<p>परावसी पेश हुई वारी की अंत से प्रार्थना पर पेश किया। शामिल मित्र रहे। वारी के बार-बार हिदायत व अक्सर इनके के उपरान्त भी परिवारीगणों की गलती हेतु रफिस्ट्रि सम्मत गलवाना पेश नहीं किया गया है। अतः उगवानी वाड पर 0-9-15 CPC के तहत स्वारीज किया जाता है परावसी केवल शुमार होकर तख्त से ऊपर की जाकर वाड तकमील भाषा दारकील रहता है।</p> <p style="text-align: right;">↓ उपरवस अधिकारी, चिड़ावा</p>	

